न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 184/2015

1 अणची आयु 66 साल पुत्री स्व. दुरजा जाति जाट निवासी गोवला तहसील चिड़ावा हाल पत्नी भीमसिंह जाति जाट निवासी उदावास तहसील व जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 अणची आयु 84 साल पत्नी स्व. दुरजा जाति जाट निवासी गोवला तहसील चिड़ावा

2 सजना आयु 54 साल पुत्री दुरजा जाति जाट निवासी गोवला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू हाल पत्नी बनवारीलाल जाति जाट निवासी जाखड़ो की ढाणी तन बामलास तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू।

3 रामस्वरूप उम्र 46 साल पुत्र

4 सुभाषचन्द्र आयु 41 साल पुत्र

5 रामसिंह आयु 31 साल पुत्र

6 कमला आयु 34 साल पुत्री

पुत्री बनिया पुत्री दुरजा जाति जाट निवासी गोवला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू हाल पत्नी सांवरमल जाति जाट निवासी पूनिया की ढाणी तन बामलास तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू।

7 रामनिवासी आयु 56 साल पुत्र

8 रोहिताश आयु 54 साल पुत्र

9 दरिया सिंह आयु 51 साल पुत्र

10 ओमप्रकाश आयु 54 साल पुत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

11 श्रवण आयु 76 साल पत्नी कुशलाराम जाति जाट निवासी गोवला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

12 रमाजीलाल पुत्र प्यारेलाल जाति जाट निवासी गोवला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

13 ख्यालीराम पुत्र जाति जाट निवासी गोवला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

14 महेश पुत्र प्यारेलाल जाति जाट निवासी गोवला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.। 'दौराने अपील मृतक'।

14/1 पिंकी पत्नी महेश

14/2 सोनू उम्र 18 साल पुत्र महेश जाति समस्त जाट निवासी गोवला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

14/3 मोनू उम्र 14 साल पुत्र महेश जाति जाट निवासी गोवला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज. नाबालिग जरिये संरक्षिका माता पिंकी पत्नी महेश जाति जाट निवासी गोवला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

15 धर्मवीर पुत्र

16 नानची पत्नी

प्यारेलाल जाति जाट निवासी गोवला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

17 फुलाराम पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी गोवला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.। 'दौराने अपील मृतक'।

17/1 श्रवणी देवी बेवा फुलाराम

17/2 चरण सिंह पुत्र फुलाराम

17/3 दयाकोर पुत्री फुलाराम

17/4 लाडोती बेवा सत्यवीर

17/5 भोलाराम पुत्र सत्यवीर

17/6 मोटली पुत्री सत्यवीर

17/7 छलु पुत्री सत्यवीर

जाति समस्त जाट निवासी गोवला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

18 कुन्दनी पत्नी गुरूदयाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

19 बन्शीलाल पुत्र गुरूदयाल
20 सुभाष पुत्र माडुराम
21 हवासिंह पुत्र माडुराम
22 कमलसिंह पुत्र माडुराम
23 बिमला पुत्री माडुराम
जाति समस्त जाट निवासी गोवला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
24 उप पंजीयक अधिकारी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
25 राज. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
26 मन्दरूप पुत्र
27 इमरती पुत्री
28 पतासी पुत्री
29 माया पुत्री
30 सुनिता पुत्री शांति देवी पुत्री सुरजा जाति जाट निवासी गोवला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू पुत्र गोरूराम जाति जाट निवासी जोधा बास तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील बखिलाफ आदेश व डिक्री दिनांक 24.02.2015
बखिलाफ मुकदमा उनवानी शान्ति वगै. बनाम मु. अणची
वगैरह दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा मु.सं.
416/2013 व अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक चिड़ावा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय ओला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 26.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर चिड़ावा द्वारा मुकदमा 416/2013 में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक दरख्वास्त आदेश 07 नियम 11 (क)(च) के तहत पेश की थी जिसमें एतराज लिया कि काज आफ एक्शन दर्ज नहीं है व वादिया अपने आपको दुरजाराम की पुत्रियां बताकर आ रही है व दुरजाराम की मृत्यु 25 वर्ष पुर्व होना कथन किया है जबकि मृत्यु सम्वत 2014 में हो गई थी इस कारण उसकी मृत्यु पर ही वादकारण पैदा नहीं हुआ वाद वादी मियाद बाहर होने से खारीज होने योग्य है व दावा दायरी पूर्व से ही दिनांक 18.12.2008 को जमीन जैर बहस का बेचान हो चुका था व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

जिसको बेचान किया था उसको फरीक नहीं बनाया इस कारण से दावे में आवश्यक पक्षकार का अभाव है इस कारण से दावा खारिज किया जावें। अपीलान्ट ने आदेश 7 नियम 11 की दरख्वास्त का जवाब पेश किया व यह उज्र लिया कि दुरजाराम के देहान्त की तारीख का मामला साक्ष्य से तय होगा व बेचान के बाबत दावा करते समय जमाबन्दी में उक्त बेचान का हवाला नहीं था इस कारण से फरीक नहीं बनाया व अब आदेश 1 नियम 10 की दरख्वास्त पेशकर के फरीक दावा बनाने की दरख्वास्त पेश कर दी है परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के कानूनी एतराज पर गौर नहीं करके अपने आदेश दिनांक 24.02.2015 से यह दर्ज करके की रजिस्टर्ड बयनामा होने के बाद में फरीक दावा नहीं बनाया इस कारण से वाद कारण पैदा नहीं होता है व दावा खारिज किया जाता है। विचारण न्यायालय ने सीपीसी के प्रावधानों की तरफ गौर नहीं किया व मनमाने रूप से वाद वादी खारिज करने में गलती कानूनी की है। दावा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का था व दावा पेश करते समय जो खातेदार रिकार्ड में थे उनको सभी को फरीक बनाया गया है। इस तरफ विचारण न्यायालय ने गौर ना कर अपीलान्ट के वाद को खारिज कर गलती की है। विचारण न्यायालय ने इस तरफ भी गौर नहीं किया कि दावा पेश करने के बाद व दावा के निर्णय के पहले वादिया संख्या 1 शान्तिदेवी का देहान्त हो चुका है व प्रतिवादी संख्या 17 का भी देहान्त हो चुका था इस प्रकार से विचारण न्यायालय ने मृतक व्यक्तियों के खिलाफ निर्णय पारित करने में गलती कानूनी की है। अपील में शान्तिदेवी जो कि दावे में वादिया संख्या 1 थी उसका देहान्त होने से उक्त शान्ति के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 25 से 28 को फरीक बनाया है। अपील में विचारण न्यायालय ने दावे में प्रतिवादी संख्या 17 फुलाराम का देहान्त हो चुका है व रेस्पोडेन्ट संख्या 17/ लगायत 17/7 उक्त फुलाराम व उक्त फुलाराम के मृतक पुत्र सत्यवीर के वारिसान होने से भी फरीक बनाया है। जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

द्वारा पारित विचाराधीन आदेश विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादीगण ने अपने पिता दुरजाराम की मृत्यु की तारीख अंकित नहीं की है। प्रा. पत्र के मुताबिक उनकी मृत्यु संवत 2014 में होने का कथन किया है। दुरजाराम की मृत्यु पर जब विरासतन नामान्तकरण वादीगण के नाम नहीं भरा गया तब उसकी मृत्यु पर ही कारण वाद पैदा होता है विवादित आराजियात को प्रतिवादी नम्बर 1 ने दावा दायरी से पूर्व ही दिनांक 18.12.2008 को श्रीमति चन्द्रकला देवी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय करदी व विक्रय पत्र का पंजीयन भी प्रतिवादी नम्बर 1 ने दिनांक 18.12.2008 को पंजीबद्ध करवा दिया इसलिए उक्त तिथि से ही श्रीमति चन्द्रकला देवी विवादित आराजियात की खातेदार है एवं आवश्यक पक्षकार है। इस कारण से वादीगण को प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्ध कोई कॉज ऑफ एक्शन पैदा नहीं होता है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अपीलांट मियाद के लाभ का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने वादकरण पैदा नहीं होने का अंकन कर आदेश 07 नियम 11 के तहत वादी अपीलांट का वाद खारिज किया है। विधि अनुसार आदेश 07 नियम 11 में वाद विधि द्वारा वर्जित होने पर खारिज किया जाता है। वादी अपीलांट ने पैतृक आधार पर घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। वादी के हक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारों का निर्धारण मूलवाद में तनकीयात कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में केता को पक्षकार नहीं बनाने को नॉन जोइन्डर ऑफ पार्टिज का नुक्स बताकर दावा खारिज किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में आदेश 01 नियम 10 का आवेदन केता को पक्षकार बनाने के लिए प्रस्तुत किया हुआ है। ऐसी स्थिति में इस आधार पर भी वाद वादी खारिज योग्य नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण का जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 26.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर